



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

पी. सरदार सिंह
P. SARDAR SINGH
वित्त अधिकारी
FINANCE OFFICER

दूरभाष /Phone : + 91-7152-230906
फैक्स /Fax : + 91-7152 232994

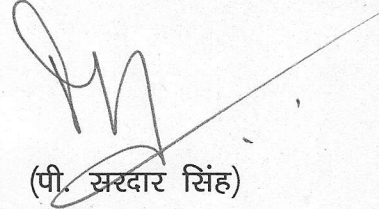
फा.सं.: 002/2012/निर्गत/2013-14/10/720

दिनांक: 09.03.2016

परिपत्र

विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र/सूचना क्रमांक 002/2012/निर्गत/2013-14/10/720, दिनांक 21.02.2015 के अनुसार वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए “किसी भी शिक्षक, अधिकारी या कर्मों को विश्वविद्यालय के खर्च पर प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु भेजने की प्रक्रिया स्थगित की गई थी, जिसे तत्काल प्रभाव से संशोधित करते हुए नियमित कर्मियों को ISTM/किसी शासकीय संस्थान में प्रशिक्षण लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।



(पी. सरदार सिंह)

प्रतिलिपि-

प्रभारी: लीला विभाग, म.गा.अ.हि.वि.- विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।